



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ जिला जयपुर (राज0)

sdmjramgarh@gmail.com

क्रमांक / एलआर / 2022 / 1078

दिनांक: 28-2-2022

श्रीमान्

अति. जिला कलक्टर प्रथम

एवं प्रभारी अधिकारी,

राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।

विषय— Upgradation of Road from महंगी से दूधली मोड तक सड़क मे आने वाली वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टेयर के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टेयर वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध मे।

प्रसंग— श्रीमान का पत्रांक आर-1/2022/डायवर्जन-जमवारामगढ/4465 दिनांक 30 जुलाई, 2022 की अनुपालना मे।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि Upgradation of Road from महंगी से दूधली मोड तक सड़क मे आने वाली वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टेयर के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टेयर वन विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध मे ग्राम दांतली तहसील आंधी के खसरा नम्बर 319/128 रकबा 25.25 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड मे से 3.4764 हैक्टेयर भूमि का क्षतिपूर्ति प्रस्ताव वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु तहसीलदार आंधी से तैयार करवाकर दो दो प्रतियों मे मय अभिशंषा अगिम्स कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(चिमन लाल मीना)

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ जिला जयपुर

संलग्न: उपरोक्तानुसार



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ जिला जयपुर (राज0)

sdmjramgarh@gmail.com

क्रमांक / एलआर / 2022 /

दिनांक:

श्रीमान्

अति. जिला कलेक्टर प्रथम

एवं प्रभारी अधिकारी,

राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।

विषय— Upgradation of Road from महंगी से दूधली मोड तक सड़क मे आने वाली वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टेयर के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टेयर वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध मे।

प्रसंग— श्रीमान का पत्रांक आर-1/2022/डायवर्जन-जमवारामगढ/4465 दिनांक 30 जुलाई, 2022 की अनुपालना मे।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि Upgradation of Road from महंगी से दूधली मोड तक सड़क मे आने वाली वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टेयर के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टेयर वन विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध मे ग्राम दांतली तहसील आंधी के खसरा नम्बर 319/128 रकबा 25.25 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड मे से 3.4764 हैक्टेयर भूमि का क्षतिपूर्ति प्रस्ताव वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु तहसीलदार आंधी से तैयार करवाकर दो दो प्रतियों मे मय अभिशंषा अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(चिमन लाल मीना)

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ

संलग्न: उपरोक्तानुसार

क्रमांक / एलआर / 2022 / 1078

प्रतिलिपि : श्रीमान् उपवन संरक्षक उत्तर, वन विभाग जयपुर को सूचनार्थ।

दिनांक: 2.8.2022

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ

राजकीय विभागों को भूमि आवंटन की निर्धारित चेकलिस्ट

- क आवश्यक दस्तावेज
- स
- 1 राजकीय विद्यालय / विभाग / संस्था इत्यादि का नाम
- 2 भूमि आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्तर अधिकतम करें)
- 3 क्या इसी प्रयोजन के लिए पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है ? यदि हाँ तो उसका विवरण अधिकतम करें।
- 4 क्या संस्था राज्य सरकार से स्वीकृत है अथवा नहीं ?
- 5 वर्तमान में संस्था कहाँ व किस स्थान / ग्राम में विद्यमान भूमि पर संचालित है ?
- 6 भूमि आवंटन के संबंध में राजकीय विभाग / विद्यालय का भाग पत्र प्रस्ताव में शामिल है अथवा नहीं ?
- 7 संस्था / विभाग के पास वर्तमान में कितनी भूमि उपलब्ध है ? क्या उक्त भूमि संस्था को आवंटित है ?
- 8 क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है ?
- 9 प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है ?
- 10 प्रस्तावित की गई भूमि के संबंध में 1963 कि नियम 2 के अंतर्गत भूमि आवंटन के निर्धारित मानदण्ड क्या है ?
- 11 विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित / निर्दिष्ट किए गए हैं तो उसका विवरण
- 12 मानदण्डों से अधिक भूमि मांगे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य
- 13 प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में स्थानीय ग्राम पंचायत का निरूपित प्रमाण पत्र (प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक सहित) प्रस्ताव में संलग्न है अथवा नहीं ?
- 14 प्रस्तावित भूमि पर यदि निर्माण हो चुका है तो निर्माण कितने क्षेत्रफल में है ?
- 15 आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि का विवरण
 - (1) ग्राम का नाम
 - (2) ग्राम पंचायत का नाम
 - (3) तहसील का नाम
 - (4) खसरा नम्बर
 - (5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल
 - (6) भूमि की किस्म
 - (7) प्रस्तावित क्षेत्रफल
 - (8) जमीनबंदी व खसरा नक्शों की प्रति संलग्न है अथवा नहीं ?
 - (9) प्रस्तावित भूमि खसरा नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित की हुई है अथवा नहीं ?
 - (10) प्रस्तावित भूमि में पहुँच मार्ग हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं ? यदि रास्ता उपलब्ध है तो मध्य रिकार्डेड नक्शा ट्रेस में अंकित किया गया है अथवा नहीं ?
 - (11) प्रस्तावित खसरा नम्बर में पूर्व में आवंटित भूमियों की तरमीम की जा चुकी है अथवा नहीं ? तरमीम से शेष है तो कारण स्पष्ट करें।
 - (12) प्रस्तावित भूमि ग्राम की मुख्य आबादी से कितनी दूरी पर स्थित है।

प्राप्त जवाब का विवरण

वन विभाग
क्षति प्रति हेतु

नहीं

हाँ

क्षति प्रति के लिए

हाँ

209.52 हे०

लागू नहीं

लागू नहीं

— NA

— NA

— NA

NA

नहीं

हॉवली

आँधी गावणी

319/128

25.25 हे० 319/128

में रु. पहाड

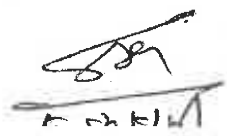
संलग्न है 3.4764 हे०

उद्भूति की हुई है

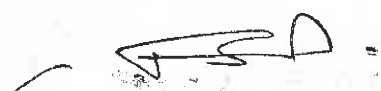
मिकाडेड रास्ता नहीं है

हाँ

लगवा नहीं है / (आकडी दे प्रस्तावित 250 कीट इर है)



102.822
2 मावणी



- प्रस्तावित भूमि यदि विद्यालय के खेल मैदान से किन्तनी दूरी पर स्थित है।
- प्रस्तावित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं ?
- 16 यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो
- (1) ग्राम की पशु संख्या किन्तनी है ?
 - (2) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात् ग्राम उपलब्ध चरागाह भूमि ।
 - (3) पशुओं के अनुपात में क्या चरागाह भूमि पर्याप्त है अथवा नहीं ?
 - (4) यदि नहीं तो चरागाह की वैकल्पिक व्यवस्था ।
 - (5) चरागाह भूमि आवंटन के संबंध में माओ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा चरागाह भूमि आवंटन / आरक्षण पर रोक लगाई हुई है। यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो इसकी क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिवायक भूमि के प्रस्ताव उक्त आवंटन प्रस्ताव के साथ संलग्न है अथवा नहीं ?
 - (6) चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिवायक भूमि उपलब्ध नहीं है तो इस आशय का प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी की ओर से बाबू जॉन्स प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जावे।
- 17 प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में पटवारी की मौका सिट्टे संलग्न है अथवा नहीं ?
- (1) प्रस्तावित भूमि पर अधीकरण की स्थिति
 - (2) प्रस्तावित भूमि के संबंध में माओ न्यायालय ने विचाराधीन वाद / स्थगन एवं अन्य विवाद की स्थिति ।
 - (3) प्रस्तावित भूमि नदी / नाला / जलग्रहण क्षेत्र के कोचमेन्ट एरिया / बहाव में स्थित है अथवा नहीं ?
 - (4) क्या प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान बंनान सरकार के निर्णय से प्रभावित है अथवा नहीं ?
 - (5) प्रस्तावित भूमि माफ्फी मन्दिर में तो नहीं है
 - (6) प्रस्तावित भूमि नगर नियम / नगरपालिका को समित / परिषदीय सौगा / मास्टर प्लान में तो नहीं है ?
 - (7) प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग यथा सार्वजनिक, शमशान, काब्रिस्तान आदि के उपयोग में तो नहीं आ रही है ?
 - (8) क्या प्रस्तावित भूमि अन्य प्रयोजनार्थ पूर्व में आरक्षित / अवाप्ताधीन है अथवा नहीं ?
 - (9) प्रस्तावित भूमि कमान्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं ?
 - (10) प्रस्तावित भूमि रेलवे लाइन / राष्ट्रीय राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड / ग्रामीण सड़क से किन्तनी दूरी पर स्थित है ?
 - (11) विद्युत कम्पनियाँ / मिगमोको भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की है तो प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीओएलवरीय पर क्या है ?
 - (12) प्रस्तावित भूमि पर यदि हरे वृक्ष लगे हुए हैं तो वृक्षा की संख्या / वृक्षों की अनुमानित आयु / वृक्षों की किस्म का उल्लेख किया जावे।
 - (13) उपखण्ड अधिकारी को स्पष्ट अभिराशु ।

नही

उपयुक्त है।

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

संलग्न है।

नही

नही

नही

नही

नही

नही

नही 50 K.M

नही

नही

नही

01 KM

नही

नही

आसवर्जन के लिए उपयुक्त है।

क. १/५/१

02.8.22
ए. १/५/१

न. १/५/१